

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

कमांक/स्था.2/सी/स्था./11/2010/422

भोपाल,दिनांक 5/4/10


//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम कमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।

स. क.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानान्तरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रीमती सुषमा शर्मा (अंग्रेजी)	AW 2608	शास.क.उ.मा.वि. धवारी जिला सतना	23130577711	शास.क.उ.मा.वि. ब्यौहारबाग जबलपुर	23390277712

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"




लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल,दिनांक 5/4/10

पृष्ठा.कमांक/स्था.2/सी/स्था./11/2010/422

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला भोपाल।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला सतना /जबलपुर।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय रीवा/जबलपुर।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला सतना /जबलपुर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी सतना /जबलपुर। म.प्र. को ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वरत होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन पतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।।
8. संबंधित प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।



लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

कमांक/स्था.2/सी/व्या./88/09/359

भोपाल,दिनांक 29-3-10

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम कमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।  
2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।

स.क.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानान्तरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव (भौतिक)	अप्राप्त	शास.उ.मा.वि.तेवर जिला जबलपुर	23390277705	शास.जे.पी.बी.कन्या उ.मा.वि.दमोह जिला दमोह	23120377705


दिनांक 31.3.2010 के उपरांत मुक्त किया जाये।  
"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"



आयुक्त  
लोक शिक्षण म.प्र.  
भोपाल,दिनांक 29-3-10

पृष्ठा.कमांक/स्था.2/सी/व्या./88/09/360  
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला जबलपुर/दमोह।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला जबलपुर/दमोह।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय, जबलपुर/सागर।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला जबलपुर/दमोह।
7. जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर/दमोह म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के कियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
8. संबंधित प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।



आयुक्त,  
लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./06/09/351

भोपाल,दिनांक 29-3-10

//आदेश//


संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।

स. क.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रीमती कविता दास (अंग्रेजी)	AR 9717	शास.उ.मा.वि.क्र-1 मुरार जिला ग्वालियर	23040577707	शास.क.लक्ष्मीबाई उ.मा.वि.मुरार जिला ग्वालियर	23040577719
2.	श्री मनमोहन प्रसाद त्रिपाठी (हिन्दी)	अप्राप्त	शास.क.उ.मा.वि. शहपुरा भिटौनी जिला जबलपुर	23390677702	शास.क.उ.मा.वि. बरही जिला कटनी	23380377707

दिनांक 31.3.2010 के उपरांत मुक्त किया जायें।

“प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”


  
आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल,दिनांक 29-3-10

पृष्ठा.क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./06/09/352  
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला ग्वालियर/जबलपुर/कटनी।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचातयत जिला ग्वालियर/जबलपुर/कटनी।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सभागीय कार्यालय ग्वालियर/जबलपुर।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला ग्वालियर/जबलपुर/कटनी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर/जबलपुर/कटनी म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।।
8. संबंधित प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

  
आयुक्त,

लोक शिक्षण म.प्र.